OSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 25, Issue 1, Series 1 (January. 2020) 97-99
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

"16वीं लोकसभा 2014–2019 में सरकार द्वारा किए विधायी कार्यों का मूल्यांकन "

डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह
एसो0प्रो0 – राजनीति विज्ञान
पं0 राम लखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
आलापुर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0

सारांश

16वीं लोकसभा का कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच रहा। 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव 12 मई को सम्पन्न हुए तथा 16 मई को हुए मतगणना में एनडीए की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 282 सीटें प्राप्त हुई तथा वह अकेले सरकार बनाने की स्थिति में थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को साथ लेकर सरकार बनाया 2014 में सम्पन्न हुए चुनाव से यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में अब एक स्थिर सरकार आएगी तथा 1990 के दशक से प्रारंभ हुए गठबंधन की सरकार का अंत होगा। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की सरकार थी लेकिन इस सरकार में बहुमत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करती थी। जहां तक विचारधारा का प्रश्न है तो एनडीए में समान विचारधारा वाले लोग भी शामिल हुए थे। अतः बीजेपी की विचारधारा पूर्ण रूप से नही ंतो अवश्य उन सभी दलों की समान विचारधारा थी वे कानून के मामले में या नीतिगत फैसले के मामले में लगभग एक जैसी सोच रखते हैं। अतः 16वीं लोकसभा में यह स्पष्ट हो गया कि अब वैचारिक तौर पर भारत में एक एसी सरकार का आगमन हो रहा है, जो आर्थिक मामलों में उदारवाद का समर्थन करती है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है तो वही समाज में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के साथ–साथ हिंदुत्व के अधीन समतामूलक सामज की परिकल्पना करती है। 16वीं लोकसभा में सरकार के विषयक कार्यों की बात की जाए तो हम पाते हैं कि 16वीं लोकसभा के दौरान कुल 171 विधेयक सदन के पटल पर आए जिन्हें सरकार ने पारित करने का प्रयास किया। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक थे जैसे जीएसटी,तीन तलाक, समान नागरिक संहिता, आधार संबंधी कानून, महिलाओं के मातृत्व अवकाश से संबंधित कानून आदि।

कामकाज के घंटों के हिसाब से अगर देखें तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 16वीं लोकसभा ने 15वीं लोकसभा के मुकाबले ज्यादा समय काम किया। इसकी बैठकों की कुल अवधि 1615 घंटे रही लेकिन अतीत की कई लोकसभा के मुकाबले ये घंटे काफी कम नजर आते हैं। एक दल के बहुमत वाली अतीत की अन्य सरकारों के कार्यकाल के दौरान सदन ने औसतन 2689 घंटे काम में बिताए थे। लेकिन काम के इन घंटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एकदलीय बहुमत वाली मौजूदा सरकार ने 16वीं लोकसभा में किस तरह काम किया, किस तरह के कानून बनवाएं, सर्वप्रथम 16 में लोकसभा के कार्य के घंटों की विवेचना आसान नहीं है। हम यदि समकालीन परिस्थित पर गौर करें तो हम यह पा रहे थे कि लंबे समय से सत्ता मे चली आ रही एक सरकार का पतन हुआ था तथा उसकी जगह नई सरकार आई थी जो पुराने सरकार के नियमों तथा कानूनों में व्यापक बदनाव की ओर बढ़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार के कार्यों में विपक्ष द्वारा व्यवधान डाले गए इसके अलावा सरकार ने कई ऐसे कार्य भी किए जो व्यवधान डालने के लायक है। इसका उदाहरण हम सरकार के उन कामों से ले सकते हैं जिसमें सरकार ने एकात्मक रूप से कार्य करने की कोशिश की तथा विपक्ष को अपने साथ लेने का प्रयास नहीं किया इसीलिए इस लोकसभा में कार्य के घंटे कम रहे।

इन सवालों की रोशनी में अगर 16वीं लोकसभा के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो सरकार का नजरिया बहुत निराश और डराने वाला नजर आता है। लोकसभा के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 16वीं लोकसभा में कुल 171 विधेयक में से 133 विधेयक मंजूर कराये। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं जीएसटी विधेयक, आधार संबंधी कानून, महिलाओं के मातृत्व–अवकाश विस्तार का विधेयक और 124वां संविधान संशोधन विधेयक (आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कानून) आदि। निश्चय ही इनमें कुछ अच्छे और सकारात्मक विधेयक भी थे इन विधायकों की एक–एक करके विवेचना करें तो यह काफी लंबा हो जाएगा तथा समय साध्य भी हो जाएगा। सर्वप्रथम हम जीएसटी विधेयक की विवेचना करते हैं जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसे हिंदी भाषा में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। सरकार ने इस समय इस संवैधानिक बदलाव के माध्यम से कर का एक नया दायरा तैयार किया तथा देश में लगने वाले विभिन्न करों को एकीकृत करके इस कार्यशैली में बदलने का प्रयास किया कमोवेश या कुछ वैसा ही है, जैसा कि नेपोलियन ने एक देश एक कर व्यवस्था में लागू किया था। इसमें चार स्तर बनाए गए जिसके तहत भारत के अधिकतर कर विषय वस्तु को समाहित कर दिया गया। पेट्रोलियम को इससे मुक्त रखा गया क्योंकि सरकार को इससे सर्वाधिक आय होता था यह दर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत का स्तर तैयार किया गया बहस के दौरान यह तय किया गया कि इसकी समीक्षा की जाएगी तथा बाद में जो भी बदलाव तय होगा उसे समय अनुकूल समाहित किया जाएगा। सरकार का यह प्रयास था कि इस सुधार के माध्यम से हम मोटे तौर पर अधिक से अधिक वस्तुओं को

तर्कसंगत कर के दायरे में लाए तथा सरकार की आय भी बढ़ाई जाए हालांकि विपक्षी दलों ने जीएसटी के प्रारूप का विरोध किया एवं इसे अतार्किक बताया, साथ ही नोटबंदी जैसे सरकार सरकार के पिछले कदम इसकी तुलना कर यह बताने का प्रयास किया कि यह भी पूर्ण रूप से असफल सिद्ध होगा तथा सरकार को इससे उस प्रकार की आए नहीं होगी जैसा सरकार सोच रही है। तमाम विरोध के बावजूद एनडीए सरकार ने जीएसटी विधेयक को पारित करवा लिया तथा एक देश में एक कर के नाम पर वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया।

सरकार ने आधार संबंधी नियम कानून बनाकर यह प्रयास किया कि देश में आधार की व्यवस्था को और सशक्त तथा सुचारू बनाया जाए देश के हर व्यक्ति का आंकड़ा सरकार उसी प्रकार जमा करना चाहती थी। जिस प्रकार विदेशों में देखने को मिलता है, कि हर व्यक्ति का पूर्ण आंकड़ा सरकार के पास मौजूद है विपक्षी दलों ने इस पर भी विरोध किया उनका कहना था कि, आधार को यदि आवश्यक कर दिया गया तो यह व्यवस्था के लिए घातक तथा दोषपूर्ण हो जाएगा एवं कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसका दुरूपयोग कर सकती है। इन सारे विरोधियों के बावजूद सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया तथा आधार को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया सरकार का आधार कानून बनाने से यह भी आशय था कि सरकार चाहती थी कि पहचान पत्र के रूप में एक ऐसी एकीकृत प्रणाली अपनाई जाए जो संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू हो। जहां तक मतदाता पहचान पत्र का प्रश्न है तो वह व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र को पार कर लेता है जबकि आधार जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही बनवाया जा सकता है। ऐसे में आधार एक ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज बना जिसका उपयोब बैंक खाता खोलने से लेकर हम अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने तथा योजनाओं में अपनी भागीदारी देने के लिए कर सकते हैं।

सरकार ने महिलाओं के मातृत्व अवकाश को और तर्कसंगत तथा उदार बनाया इसके तहत सरकार ने लोकसभा में यह कानून पारित किया कि संगठित क्षेत्र में के साथ–साथ असंगठित क्षेत्र में भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश कम से कम 180 दिन का मिले, ताकि महिलाएं अपने बच्चों का लालन–पालन ठीक ढंग से कर पाए। सरकार ने यह भी प्रावधान किया कि महिलाओं का मातृत्व अवकाश के समय पूर्ण वेतन दिया जाए। लोकसभा ने कुछ ऐसे भी विधेयक मंजूर किये, जिन्हें राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली या जो राज्यसभा में पेश ही नहीं किये जा सके और इस तरह मौजूदा लोकसभा की कार्यावधि के समापन के बाद वे स्वतः खत्म हो गए।

ऐसे विधेयकों की संख्या 46 है, जिनमें नागरिकता कानून और तीन तलाक से संबंधित कानून शामिल हैं। नागरिकता कानून के कुछ बिन्दुओं और तीन तलाक कानून में आपराधिक प्रावधान जोड़े जाने पर प्रमुख विपक्षी दलों में गहरे मतभेद थे। समाज में भी इन्हें लेकर विवाद था, समूचा पूर्वोत्तर भारत विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलित था। सत्ताधारी दल के कुछ सहयोगी दलों ने तो अपने आपको उन क्षेत्रीय गठबंधनों से अलग कर लिया, जिसमें भाजपा शामिल थी या जिनका वह नेतृत्व कर रही थी सवाल उठता है, ऐसे विवादास्पद और विभेदकारी विधेयकों पर लोकसभा का इतना वक्त क्यों बर्बाद किया ? सरकार इन्हें सलेक्ट कमेटी या किसी अन्य सम्बद्ध संसदीय समिति में भेजकर सदन और जनप्रतिनिधियों का समय बचाया जा सकती थी और समाज को बेवजह के विवाद से भी बचाया जा सकता था। क्या सरकार ने जानबूझकर ऐसे विधेयकों को लोकसभा में पेश और मंजूर कराया, जिससे वह अपने खास राजनीतिक एजेंडे पर समाज और सियासत में बहस छेड़ सके और इसके जरिये सामुदायिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सके ?

संसदीय मामलों के अध्ययन से जुड़े शोध–संस्थान पीआरएस के शोध के मुताबिक 16वीं लोकसभा में सिर्फ 25 फीसदी विधेयक ही संसदीय समितियों की गहन–पड़ताल (स्क्रूटनी) के लिए भेजे गये। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा सरकार ने तकरीबन 75 फीसदी विधेयक आनन–फानन में किसी गंभीर संसदीय पड़ताल के बगैर ही लोकसभा में अपने प्रचंड–बहुमत के बल पर पारिता करा लिये। यह भी एक कारण रहा कि राज्य सभा में ऐसे कई विधेयक लंबे समय तक फंसे रहे या सरकार को ऐसे कुछ विवादास्पद विधेयकों को 'मनी–बिल' बनाकर मंजूर कराने का हथकंडा अख्तियार करना पड़ा।

अगर पिछली (15वीं) लोकसभा का आकंड़ा देखें तो 71 फीसदी विधेयक संससदीय समितियों की विशेषज्ञ पड़ताल के लिए भेजे गये थे। 14वीं लोकसभा में यह आकंड़ा 60 फीसदी रहा। यह बात सही है कि मौजूदा सरकार ने लोकसभा का ज्यादा वक्त विधायी कार्यों, प्रस्तावों और संकल्पों आदि की प्रस्तुति या मंजूरी में लगाया। लोकतंत्र में संसदीय सदनों का यह एक अहम कार्य है। लेकिन संवाद और चर्चा के बगैर यह कार्य बेहतर ढंग से संपादित नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक पद्धति वाले दुनिया के सभी प्रमुख देशों के संसदीय कार्य की यही परिपाटी है। स्वयं सत्ताधारी दल के कुछ सांसदों, खासकर पूर्वोत्तर के सदस्यों की राय थी कि नागरिकता कानून जैसे विवादास्पद विधेयकों को पहले सदन की सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, तब विवादास्पद विधेयकों को पहले सदन की सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, तब सदन से मंजूरी लेनी चाहिए। लेकिन सरकार किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने से बचती रही।

हाल के वर्षों के सबसे विवादास्पद 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 (आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण का विधेयक) को भी सरकार ने संसद की सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने से साफ इंकार कर दिया। कई विपक्षी

दलों ने सदन में इस आशय की मांग की पर सरकार ने अपने प्रचंड बहुमत के बल पर असहमति की संजीदा आवाज को दबा दिया। आनन–फानन में संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। सरकार ने उक्त विधेयक को जिस जल्दबाजी में जनवरी महीने में दोनों सदनों की मंजूरी दिलाई, वह भारत के संसदीय इतिहास की कुछ अभूतपूर्व घटनाओं में एक है।

लोकसभा ने आठ जनवरी को इसे मंजूर किया और राज्यसभा ने नौ जनवरी को संसद ने अद्भुत और बेमिसाल जल्दबाजी दिखाते हुए संविधान में एक ऐसा संशोधन कर डाला, जिसे बड़े पैमाने पर चुनौती दी गयी, सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की कई याचिकाएं लंबित हैं, बीते दो दशकों में यह पहला संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें संसद के दोनों सदनों का सबसे कम वक्त लगा। इसके मुकाबले अतीत का एक उदाहरण देना यहां प्रासंगिक होगा सन् 1951 में संविधान का पहला संशोधन विधेयक पारित हुआ था। लेकिन संसद में पारित होने से पहले उक्त विधेयक को 20 सदस्यों की एक समिति में गहन पड़ताल और अध्ययन के लिए भेजा गया।

कई दिनों तक उस पर उन सदस्यों के बीच चर्चा हुई, उस पर असहमति के 20 नोट आए। अंततः लंबी बहस और पड़ताल के बाद संविधान के संशोधन का पहला विधेयक संसद में फिर आया और कई लंबी चर्चा के बाद मंजूर हुआ इन कुछ के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और उदाहरणों की रोशनी में देखें तो यह आईने की तरह साफ है कि मौजूदा सरकार ने अपने बहुमत का इस्तेमाल लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदीय मूल्यों व परम्पराओं को मजबूत करने में नहीं किया। कई मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होने दी गई। कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बगैर पारित करा लिये गये। कतिपय विधेयकों का बेवजह चरित्र बदला गया। राज्यसभा में बहुमत न होने की चुनौती से निपटने के लिए कुछ विधेयकों को मनी–बिल में तब्दील किया गया। सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के बल पर अल्पमत और विपक्ष की जरूरी आवाजों को भी दबाने की हरसंभव कोशिश की। रफाल सौदे के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक में एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति के बारे में गलतबयानी की गई कि उक्त समिति को कैग रिपोर्ट मिल चुकी है या कि समिति उससे अवगत है। सच ये है कि कैग–रिपोर्ट बीते 13 फरवरी को ससंद में पेश की गई।

निष्कर्ष :– 16 वीं लोकसभा से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। भारत जैसे लोकतंत्र में केंन्द्र–राज्य के रिश्तों और संसदीय प्रक्रिया को भी संघीय ढांचे के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। अगर राज्यसभा का दलगत समीकरण मौजूदा सरकार के लिए प्रतिकूल नहीं होता तो नागरिकता कानून जैसा बेहद विवादास्पद विधेयक भी संसद की मंजूरी पर लेता, इससे भारत का एक संवेदनशील हिस्सा केन्द्र की निरंकुशता से और आहत होता। अंततः यह देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होता। यही कारण था कि आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने न केवल राज्यसभा को बरकारार रखने का फैसला किया अपितु उसे ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की पहल की बाद के कुछ संवैधानिक संशोधनों के जरिये विभिन्न सरकारों ने राज्यसभा के प्रांतीय–प्रतिनिधित्व के स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में विविधता का सम्मान एक जरूरी राजनीतिक मूल्य है। जिस तरह आज के संदर्भ में दल–बदल विधेयक के अतिशय पार्टी–पछी चरित्र पर पुनर्विचार की जरूरत है, उसी तरह राज्यसभा के प्रोतीय–प्रतिनिधित्व के चरित्र में किये पूर्व के संशोधनों पर भी नये ढंग से विचार की जरूरत है। क्या भविष्य की सरकारें लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इन कदमों पर विचार करेंगी ?

सन्दर्भ

1. 16 में लोकसभा की कार्यवाही, अभिलेखागार, लोक सभा सचिवालय नई
2. दिल्ली। भारत 2020, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. लक्ष्मीकांत एम0, भारतीय राजव्यवस्था, टीएमए0 प्रकाशन, नई दिल्ली 2020।
4. निषंक, डॉ0 रमेश पोखरियाल, 16वीं लोकसभा में संसद नई दिल्ली 2020।
5. यादव, हुकुमदेव नारायण, संसद में आम जन की बात, नई दिल्ली 2020।